

**झारखण्ड सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,**  
**भू-अर्जन निदेशालय, राँची।**  
**अधिसूचना**

संख्या- 10/DLA लाते. (रेल).-27/13 - 775/17 दिनांक-31-12-13

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-कामता थाना नं०-284 थाना-चन्दवा परगना-टोरी जिला-लातेहार, में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात् टोरी-शिवपुर नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपर्युक्त ग्राम-कामता थाना नं०-284 थाना-चन्दवा के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमबेस-1.84 एकड़ के बराबर होता है जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है :-

**ग्राम-कामता**

**थाना नं०-284 थाना-चन्दवा**

सर्वे खेसरा संख्या- 590,591,592,604,609,610 का अंश। ग्राम-कामता थाना सं०-284 थाना -चन्दवा जिला-लातेहार तथा जिसकी चौहदी विवरणी निम्न प्रकार है :-

**चौहदी विवरण**

**खण्ड "क"**

उत्तर :- सर्वे खेसरा संख्या - 589 पूर्ण।  
पूरब :- रेलवे विभाग की पूर्व से अर्जित भूमि है।  
दक्षिण :- सर्वे खेसरा संख्या - 592 का अंश।  
पश्चिम :- सर्वे खेसरा संख्या - 592,590 का अंश।

**खण्ड "ख"**

उत्तर :- सर्वे खेसरा संख्या - 589 पूर्ण।  
पूरब :- सर्वे खेसरा संख्या - 591 का अंश।  
दक्षिण :- सर्वे खेसरा संख्या - 591 का अंश।  
पश्चिम :- रेलवे विभाग की पूर्व से अर्जित भूमि एवं खेसरा सं० 589 पूर्ण।

**खण्ड "ग"**

उत्तर :- सर्वे खेसरा संख्या - 604 का अंश।  
पूरब :- सर्वे खेसरा संख्या - 609 का अंश।  
दक्षिण :- सर्वे खेसरा संख्या - 589 पूर्ण।  
पश्चिम :- रेलवे विभाग की पूर्व से अर्जित भूमि।

**खण्ड "घ"**

उत्तर :- सर्वे खेसरा संख्या - 604 का अंश।  
पूरब :- रेलवे विभाग की पूर्व से अर्जित भूमि।  
दक्षिण :- सर्वे खेसरा संख्या - 589 पूर्ण।  
पश्चिम :- सर्वे खेसरा संख्या - 610,604 का अंश।

यह अधिसूचना अधिनियम-I 1894 की धारा-4(क) के उपलब्धियों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम-II, 1961 द्वारा संशोधित हुआ है। उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लातेहार के कार्यालय में देखा जा सकता है। उपायुक्त, लातेहार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लातेहार एवं उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरंभिक अनुसंधान पर तत्समय लगे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने एवं उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 उप धारा-2 में उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य का समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

चूंकि झारखण्ड राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर/कृषि योग्य है तथा इसका शीघ्र अर्जन आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 4 के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध, उक्त भूमि/भूमियों पर लागु नहीं होंगे।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
लातेहार।

अपर समाहर्ता  
लातेहार।

उपायुक्त,  
लातेहार।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।  
सरकार के अवर सचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
झारखण्ड, राँची।

22/12/13  
31/12/13

ज्ञापांक- / भू0अ0 दिनांक-

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड राँची को अधिसूचना की तीन प्रतियों में स्थानीय दो दैनिक सामाचार पत्र में जिसकी एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशित करने एवं प्रकाशित पत्र की प्रेष कतरण इस कार्यालय को भेजने के निमित्त प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- / भू0अ0 दिनांक-

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, लातेहार एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- / भू0अ0 दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, लातेहार को अधिसूचना की दो प्रतियों जिला राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित करने और प्रकाशित पत्र की 10 प्रतियों इस कार्यालय को यथाशीघ्र भेजने के लिए भेजी जाती है।

सरकार के अवर सचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
झारखण्ड, राँची।



झारखण्ड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

झापांक-10/DLA लातेहार (रेल) - 27/13 - 775/रा. दिनांक-... 31-12-13

प्रतिलिपि:-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ प्रेषित।


2. प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, लातेहार को जिला लातेहार के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


3. उपायुक्त, लातेहार को अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रासंगिक अधिसूचना तथा इसकी कम्प्यूटर फ्लॉपी अपने स्तर से निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु शीघ्र भेजने की कृपा की जाय। साथ ही प्रासंगिक अधिसूचना को निम्नांकित शर्तों के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई है -

शर्त :-

- (i) यदि भविष्य में प्रश्नगत मामला "The Right to fair compensation & Transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013" से आच्छादित होने पर उसमें निहित प्रावधान इस पर प्रभावी होंगे।
- (ii) पेसा एक्ट 1996 के अनुपालन से संबंधित ग्राम सभा की बैठक की (यथा ग्राम-बनवार, फुलबसिया उर्फ अमरवाडीह, मनातू, बुकरू, चड़रा, अनगड़ा, कामता, बाना, भूषाढ़, चतरो, कसियाडीह, बसिया, जोगियाडीह एवं हेमपुर) एनेक्चर-1 को प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

  
सरकार के उप सचिव।

  
31-12-13